न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 107/2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 वीराराम 2 गोविन्दराम 3 भगवानाराम 4 खुमाणाराम पिसरान हंजारीराम जाति कुम्हार निवासी भाड़खा पुरोहितान (खारिया तला) तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 हंजारीराम 2 जोगाराम 3 नखताराम पिसरान काछबाराम 4 चनणाराम 5 अजीताराम 6 मघाराम 7 जेताराम 8 जेठाराम 9 मेहाराम पिसरान दुर्गाराम 10 इन्द्ररी पत्नी दुर्गाराम जाति कुम्हार निवासी भाड़खा पुरोहितान (खारिया तला) तहसील व जिला बाडमेर 11 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 **RTA Act.**

उपस्थिति :– 1. श्री मेघाराम चौधरी वकील वादीगण।
2. श्री भोमाराम सियाग वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 26.09.19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 10 स्वर्गीय काछबाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 हंजारीराम के पुत्र होने से विधिक वारिस है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 10 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 762/444 रकबा 09.14 बीघा व मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 798/605 रकबा 12.15 बीघा तथा मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 280/61 रकबा 24.11 बीघा, खसरा संख्या 289/61 रकबा 05.11 बीघा, खसरा संख्या 302/61 रकबा 05.16 बीघा, खसरा संख्या 306/888 रकबा 05.15 बीघा कुल रकबा 41.13 बीघा एवं मौजा मगनोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 797 रकबा 20.17 बीघा व खसरा संख्या 800 रकबा 36.09 बीघा कुल रकबा 57.06 बीघा भूमि आई हुई है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 10 का कब्जा काश्त है। काछबाराम की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि काछबाराम के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 से 10 के नाम दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का हिस्सा निहित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 हंजारीराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। अतः मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 762/444 रकबा 09.14 बीघा भूमि, मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 798/605 रकबा 12.15 बीघा भूमि तथा मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 280/61 रकबा 24.11 बीघा भूमि, खसरा संख्या 289/61 रकबा 05.11 बीघा भूमि, खसरा संख्या 302/61 रकबा 05.16 बीघा, खसरा संख्या 306/888 रकबा 05.15 बीघा कुल रकबा 41.13 बीघा भूमि में

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

E:\SDM Barmer\Lalit Ji Joshi\RTA 88\ORDER 88.docx

Scanned by CamScanner

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा निहित होने से तथा मौजा मगनोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 797 रकबा 20.17 बीघा व खसरा संख्या 800 रकबा 36.09 बीघा कुल रकबा 57.06 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 01 के 1/6 हिस्से में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/30–1/30 हिस्सा खातेदारी का घोषित करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त पैतृक भूमि में वाद में अंकित हिस्सा अनुसार वादीगण का हिस्सा है, जिसे घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है। प्रतिवादी संख्या 01 ने यह भी अवगत करवाया कि मौजा मगनाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 797 रकबा 20.17 बीघा व खसरा संख्या 800 रकबा 36.09 बीघा कुल रकबा 57.06 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने 1/6 हिस्से की भूमि ने वाद के विचारण के दौरान दिनांक 08.08.2019 को बेचान कर दी है इसलिए उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का कोई हिस्सा शेष नही है।

वादी संख्या 03 द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र एवं राजीनामा में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे सामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 हंजारीराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए उपर्युक्तानुसार वादीगण का हिस्सा घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 हंजारीराम के जायन्दा पुत्र होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 हंजारीराम के साथ वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा के पक्ष में रहन है। प्रतिवादी संख्या 01 ने यह भी अवगत करवाया कि मौजा मगनाणियों की ढाणी के खसरा संख्या 797 रकबा 20.17 बीघा व खसरा संख्या 800 रकबा 36.09 बीघा कुल रकबा 57.06 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने 1/6 हिस्से की भूमि वाद के विचारण के दौरान दिनांक 08.08.2019 को बेचान कर दी है इसलिए उक्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का कोई हिस्सा शेष नही रहने से उक्त भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 अपना हिस्सा घोषित करने के अधिकारी नही है। वादीगण द्वारा भी यह तथ्य राजीनामा में स्वीकार किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 762/444 रकबा 09.14 बीघा व मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 798/605 रकबा 12.15 बीघा तथा मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 280/61 रकबा 24.11 बीघा, खसरा संख्या 289/61 रकबा 05.11 बीघा, खसरा संख्या 302/61 रकबा 05.16 बीघा, खसरा संख्या 306/888 रकबा 05.15 बीघा कुल रकबा 41.13 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 हंजारीराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) * बाड़मेर *

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 26/09/19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 वीराराम 2 गोविन्दराम 3 भगवानाराम 4 खुमाणाराम पिसरान हंजारीराम जाति कुम्हार निवासी भाड़खा पुरोहितान (खारिया तला) तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 हंजारीराम 2 जोगाराम 3 नखताराम पिसरान काछबाराम 4 चनणाराम 5 अजीताराम 6 मघाराम 7 जेताराम 8 जेठाराम 9 मेहाराम पिसरान दुर्गाराम 10 इन्द्री पत्नी दुर्गाराम जाति कुम्हार निवासी भाड़खा पुरोहितान (खारिया तला) तहसील व जिला बाडमेर 11 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 107/2019
निर्णय दिनांक :– 26/09/19........

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26/09/19..... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 762/444 रकबा 09.14 बीघा व मौजा जेताणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 798/605 रकबा 12.15 बीघा तथा मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 280/61 रकबा 24.11 बीघा, खसरा संख्या 289/61 रकबा 05.11 बीघा, खसरा संख्या 302/61 रकबा 05.16 बीघा, खसरा संख्या 306/888 रकबा 05.15 बीघा कुल रकबा 41.13 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 हंजारीराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 26/09/19... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्सप	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

\...lit Ji Joshi\PD\PD Abhiyan.docx

Scanned by CamScanner